**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क)**

| | आदिवासी | हरिजन |
|---|---|---|
| रेंजर का कोर्स | कोई नही | १ |
| उप-रेंजर का कोर्स | देहरादून मे ऐसा कोई कोर्स नही है। | |
| डी० एफ० ग्रो० का कोर्स | कोइ नही | १ |

(ख) राज्य सरकार खर्च निम्न मदो पर व्यय करती है —

**रेंजर का कोर्स**

(१) शिक्षार्थी के ७५ रु० मासिक का एक वजीफा

(२) एम० आर० आई० को पूरे कोर्स के लिए ट्यूशन फी देना ३००० रुपये

(३) सामान का मूल्य ६०० रुपये

(४) यात्रा का भत्ता ८०० रुपये

**डी० एफ० ओ० का कोर्स**

(१) एफ० आर० आई० को दिये जाने के लिए शिक्षार्थी को १५० रु० का मासिक वजीफा।

(२) दो सालों के लिए ट्यूशन फीस . ७००० रुपये

(३) सामान का मूल्य . १४०० रुपये

(४) दो सालों के लिए यात्रा का भत्ता . १६०० रुपये

**सार्वजनिक टेलीफोन घर**

**४२८. श्री राधेलाल व्यास :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ३ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के आलोट तथा महीदपुर नगरों में टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** आवश्यक स्टोर पर्याप्त मात्रा मे जारी किया जा चुका है। बाकी का सामान भी शीघ्र ही जुटाया जा रहा है। आशा है कि यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

**सार्वजनिक टेलीफोन घर**

**४२९. श्री राधेलाल व्यास :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बदनावर (मध्य प्रदेश) के नागरिकों से वहा एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने से पहले टेलीफोन विभाग द्वारा किसी निश्चित आय की गारटी मागी गई थी ;

(ख) यदि हा, तो क्या उन्होंने गारटी दे दी थी , और

(ग) वहा सार्वजनिक टेलीफोन घर कब तक खोला जायेगा ?

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). बदनावर का सार्वजनिक टेलीफोन घर २६ जनवरी, १९५८ को बिना किसी गारटी के खोल दिया गया है।

**मध्य प्रदेश में गोशालायें**

**४३०. श्री राधेलाल व्यास :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि